संख्या-369/2026/1866/22-2-2024-17(698)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 06 अप्रैल, 2026*

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती शाजवीन पत्नी श्री अख्तर अली, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती शाजवीन पत्नी श्री अख्तर अली, बिलासपुर, थाना-बिलसण्डा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 22.04.2016 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जलाकर श्रीमती नरगिस की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या- 223/2016 में भा0द0वि0 की धारा-302, 304बी, 498ए व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (इं०सी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 24.05.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 18.01.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 02 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 10 माह 11 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती शाजवीन (बन्दी संख्या-172/2018) पत्नी श्री अख्तर अली, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-369/2026/1866(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in